Probation of Offender Act, 1958

Probation of Offender Act, 1958

Probation of Offender Act, 1958

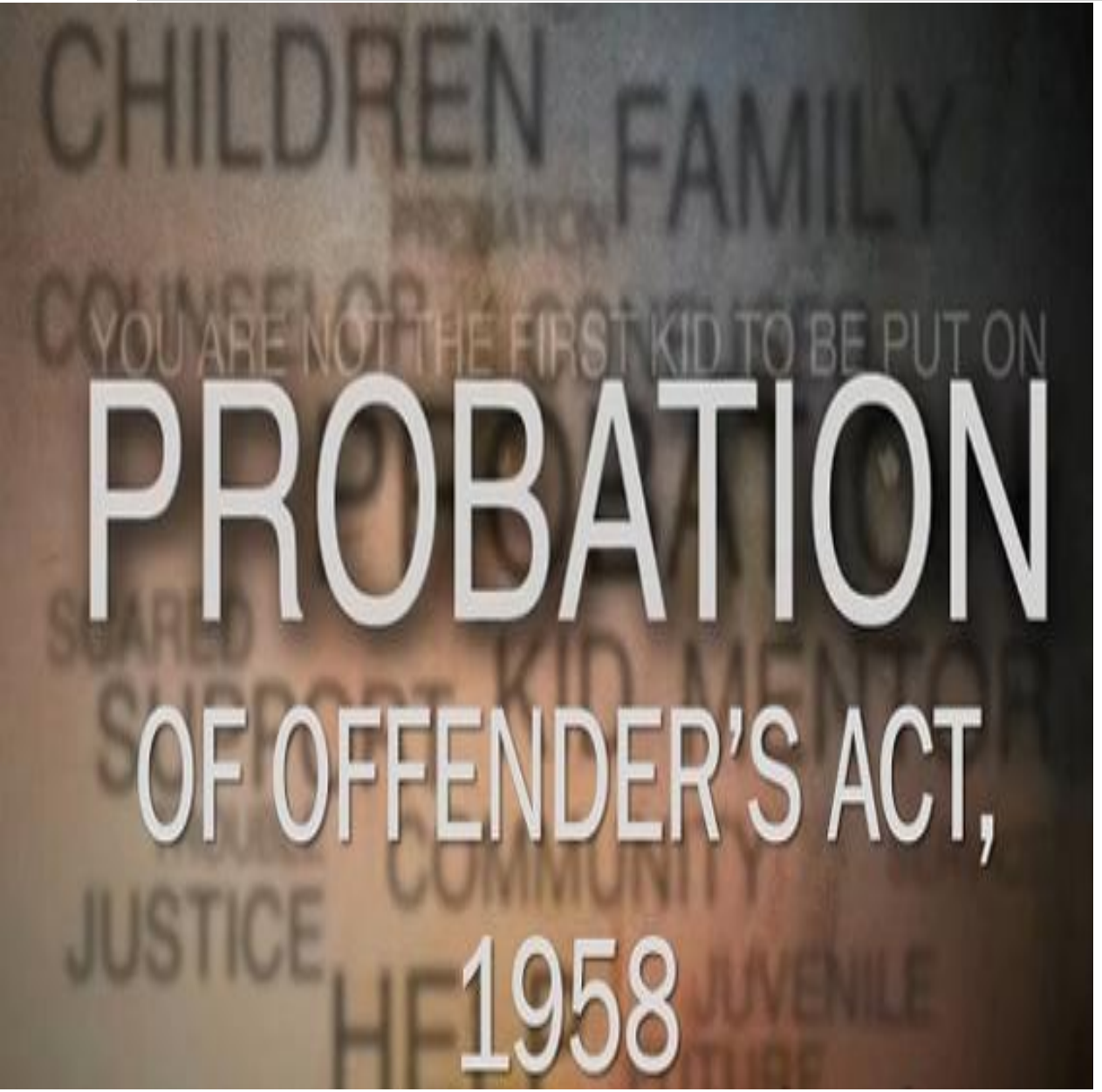

The Probation of offenders Act 1958

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958

(Act no. 20 of 1958)

(1958 का अधिनियम संख्यांक 20)

[16th May, 1958]

Probation of Offender Act, 1958



An Act to provide for the release of offenders on probation or after due admonition and for matters connected therewith.

अपराधियों को परिवीक्षा पर या सम्यक भर्त्सना के पश्चात् छोड़ दिए जाने के लिए और इससे संबद्ध बातों के लिए उपबंद करने के लिए अधिनियम।

Be it enacted by Parliament in the Ninth Year of the Republic of India as follows

भारत गणराज्य के नवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

Probation of Offender Act, 1958



1. Short title, extent and commencement-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(1) This Act may be called the Probation of Offenders Act, 1953.

यह अधि- नियम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 कहा जा सकता है ।

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

Probation of Offender Act, 1958



(3) It shall come into force in a State on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette appoint, and different dates may be appointed for different parts of the State.

किसी राज्य में यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे वह राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, और राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

Probation of Offender Act, 1958

2. Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires / परिभाषाएं-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, [xxxxx], / “संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, [xxxxx] अभिप्रेत है;

Probation of Offender Act, 1958

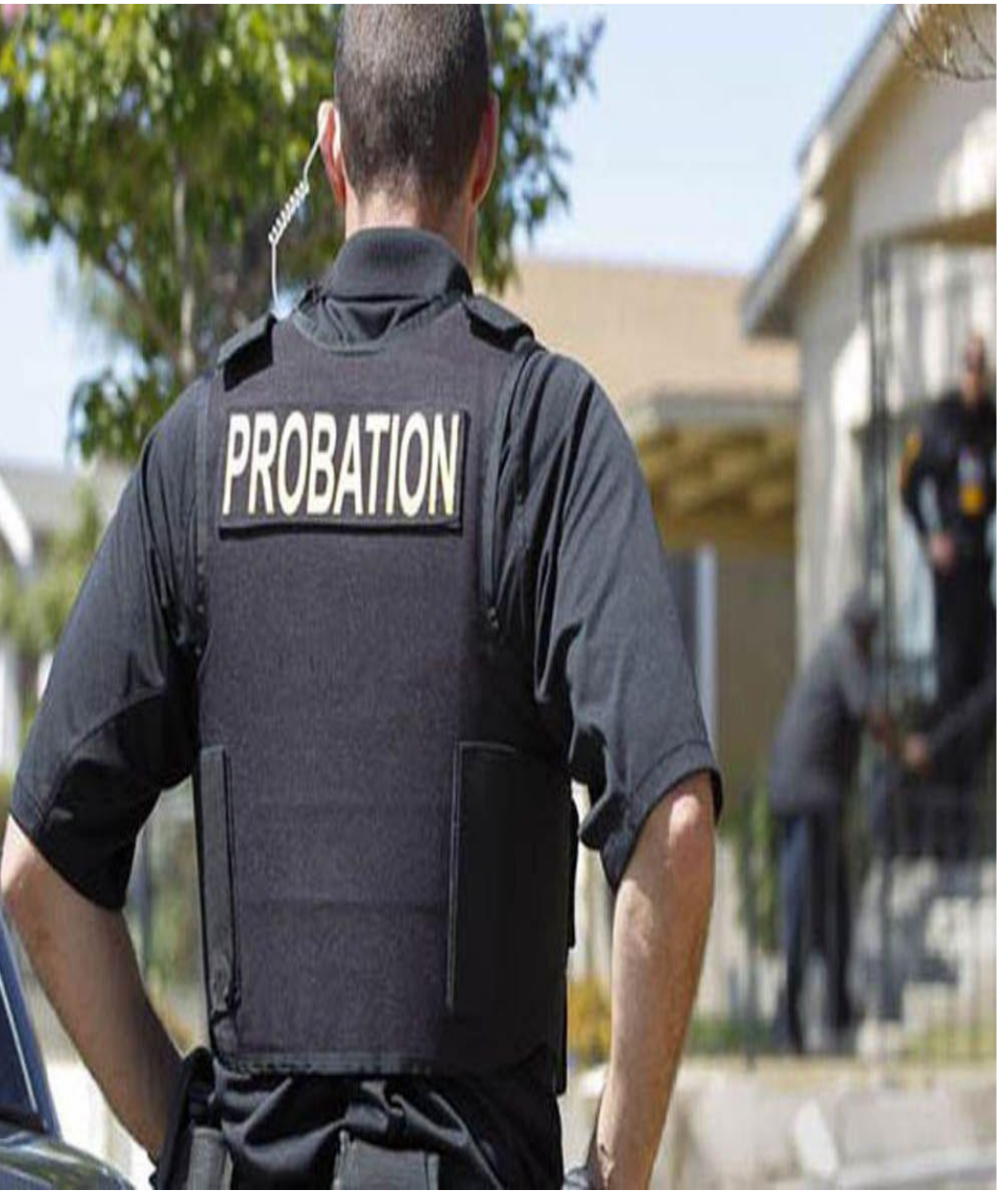

(b) "Probation officer" means an officer appointed to be a probation officer or recognised as such under section 13;

“परिवीक्षा अधिकारी” से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 13 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है या उस रूप में मान्यता प्राप्त है;

(c) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

“विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(d) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code of Criminal Procedure [xxxxx]', shall have the meanings respectively assigned to them in that code.

ऐसे शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, [xxxxx] में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस संहिता में क्रमशः उनके है

Probation of Offender Act, 1958



3. Power of court to release certain offenders after admonition-

कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति-

Probation of Offender Act, 1958

When any person is found guilty of having committed an offence punishable under section 379 or section 380 or section 381 or section 404 or section 420 of the Indian Penal Code (45 of 1860) or any offence punishable with imprisonment for not more than two years, or with fine, or with both, under the Indian Penal Code or any other law, and no previous conviction is proved against him and the court by which the person is found guilty is of opinion that, having regard to the circumstances of the case including the nature of the offence and the character of the offender, it is expedient

Probation of Offender Act, 1958



जब कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या धारा 404 या धारा 420 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अथवा भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन दो वर्ष से अनधिक के लिए कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिनके अन्तर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है ध्यान रखते हुए ऐसा करना समीचीन हैं जब तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात

so to do, then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4 release him after due admonition.

के होते हुए भी वह न्यायालय उसे दंडित करने या उसे धारा 4 के अधीन सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने के बजाय उसे सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ सकेगा ।

Probation of Offender Act, 1958



Explanation-For the purposes of this section, previous conviction against a person shall include any previous order made against him under this section or section 4.

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के अन्तर्गत इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश भी है ।

Probation of Offender Act, 1958



4. Power of court to release certain offenders on probation of good conduct-

कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति-

Probation of Offender Act, 1958

(1) When any person is found guilty of having committed an offence not punishable with death or imprisonment for life and the court by which the person is found guilty is of opinion that, having regard to the circumstances of the case including the nature of the offence and the character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct, then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond, with or without sureties, to appear and receive sentence when called upon during such period, not exceeding three years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be or good behaviour:

Probation of Offender Act, 1958

जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसको यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिनके अन्तर्गत अपराधी की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन हो तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरन्त दण्डित करने के बजाय, निदेश दे सकेगा कि उसे, प्रतिभुओं के सहित या उनके बिना, उसके द्वारा ऐसा बंधपत्र देने पर छोड़ दिया जाए कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान, जैसी न्यायालय निदिष्ट करें, आहूत किए जाने पर उपस्थित होगा और दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा :

Probation of Offender Act, 1958

- **Provided that the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond.**

परन्तु न्यायालय किसी अपराधी के ऐसे छोड़ दिए जाने का निदेश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि अपराधी या उसके प्रतिभू का, यदि कोई हो, नियत निवास-स्थान या उस स्थान में नियमित उपजीविका हैं, जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभाव्यता हैं जिसके लिए वह बंधपत्र देता है ।

Probation of Offender Act, 1958



(2) Before making any order under sub-section (1), the court shall take into consideration the report, if any, of the probation officer concerned in relation to the case.

उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय, मामले के बारे में, संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

Probation of Offender Act, 1958



(3) When an order under sub-section (1) is made, the court may, if it is of opinion that in the interests of the offender and of the public it is expedient se to do, in addition pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period, not being less than one year, as may be specified therein, and may in such supervision order impose such conditions as it deems necessary for the due supervision of the offender.

Probation of Offender Act, 1958

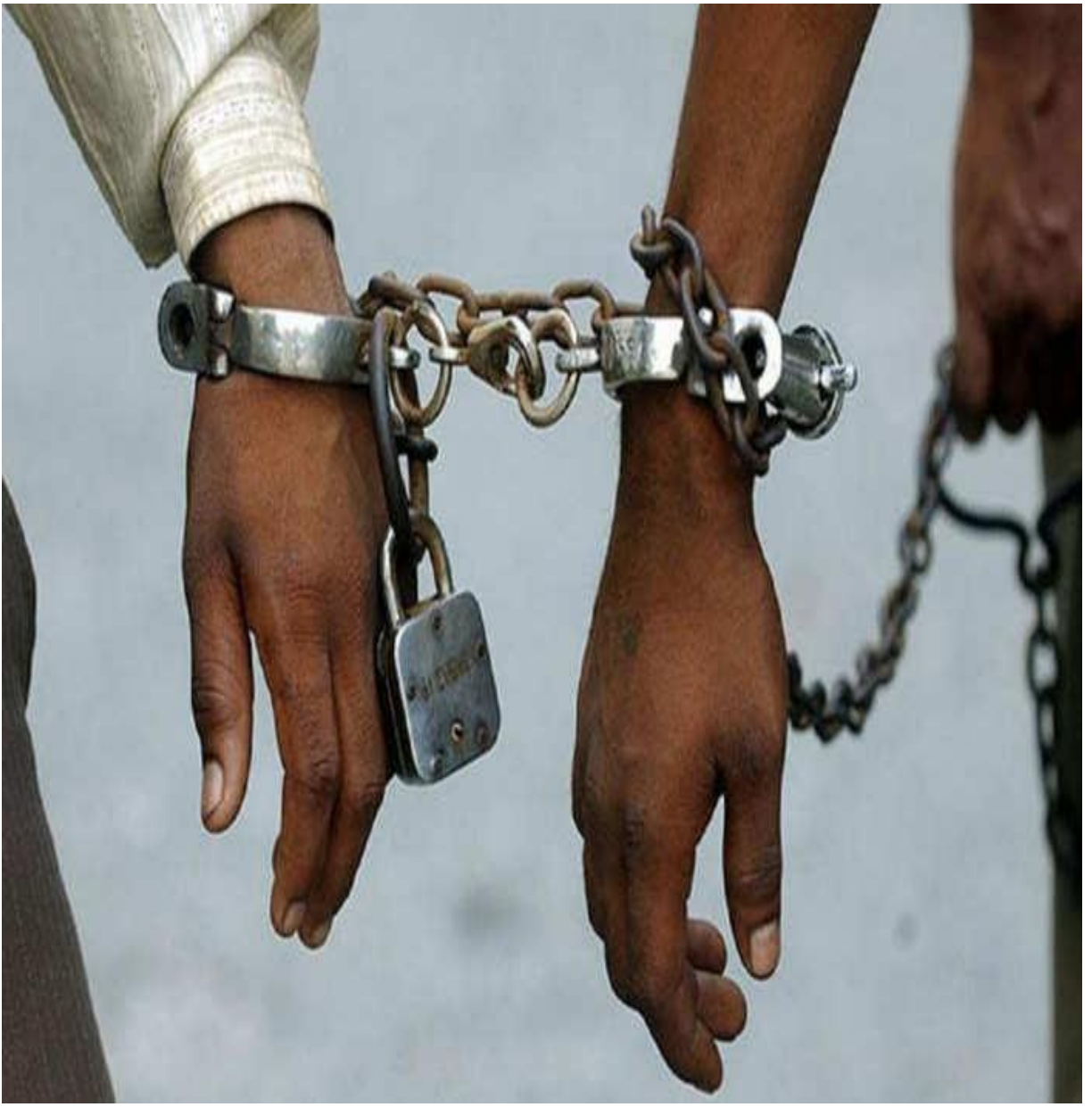

जब उपधारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है, तब यदि न्यायालय की यह राय है कि अपराधी और जनता के हितों में ऐसा करना समीचीन है, तो वह उसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा जिसमें यह निदेश होगा कि अपराधी आदेश में नामित किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन एक वर्ष से कम न होने वाली ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह अपराधी सम्यक पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है।

(4) The court making a supervision order under sub-section (3) shall require the offender, before he is released, to enter into a bond, with or without sureties, to observe the conditions specified in such order and such additional conditions with respect to residence, abstention from intoxicants or any other matter as the court may, having regard to the particular circum - stances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offences by the offender.

Probation of Offender Act, 1958



उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय अपराधी से अपेक्षा करेगा कि छोड़े जाने से पूर्व, वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों का और निवास स्थान मादक पदार्थों से प्रवरित या किसी अन्य बात के बारे में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का सी न्यायालय विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उसी अपराध की पुनरावृत्ति को या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे, पालन करने के लिए प्रतिभुओं के सहित या बिना एक बंधपत्र दे ।

Probation of Offender Act, 1958



(5) The court making a supervision order under sub-section (3) shall explain to the offender the terms and conditions of the order and shall forthwith furnish one copy of the supervision order to each of the offenders, the sureties, if any, and the probation officer concerned.

उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने चाला न्यायालय आदेश के निबंधनों और शर्तों को अपराधी को समझाएगा और प्रत्येक अपराधी, प्रतिभू, यदि कोई हो, और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को तुरन्त पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा ।

5. Power of court to require released offenders to pay compensation and costs-

छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्च देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति-

(1) The Court directing the release of an offender under section 3 or section4, may, if it thinks fit, make at the same time a further order directing him to pay-

धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराधी को छोड़ने का निर्देश देने वाला न्यायालय, यदि ठीक समझता है, तो उसी समय तक -अतिरिक्त आदेश कर सकेगा जिसमें उसे निम्नलिखित संदत्त करने के लिए निदिष्ट किया जाएगा-

Probation of Offender Act, 1958



(a) such compensation as the court thinks reasonable for loss or injury caused to any person by the commission of the offence; and

अपराध के किए जाने से किसी व्यक्ति की हुई हानि या क्षति के लिए इतना प्रतिकर जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझता है; और

(b) such costs of the proceedings as the court thinks reasonable.

कार्यवाहियों के इतने खर्चे जितने न्यायालय है युक्तियुक्त समझता

Probation of Offender Act, 1958



(2) The amount ordered to be paid under sub-section (1) may be recovered as a fine in accordance with the provisions of sections 386 and 387 of the Code.421 of pe

उपधारा (1) के अधीन संदत्त किए जाने के लिए आदिष्ट रकम संहिता की धारा 386 और 387 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

Probation of Offender Act, 1958



(3) A civil court trying any suit arising out of the same matter for which the offender is prosecuted, shall take into account any amount paid or recovered as compensation under sub-section (1) in awarding damages.

उसी मामले से जिसके लिए अपराधी अभियोजित किया जाता है पैदा होने वाले किसी वाद का विचारण करने वाला सिविल न्यायालय नुकसानी दिलाने में उस किसी रकम को गणना में लेगा जो उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई हो ।

Probation of Offender Act, 1958



6. Restrictions on imprisonment of offenders under twenty-one years of age-

इक्कीस वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बन्धन

Probation of Offender Act, 1958

(1) When any person under twenty-one years of age is found guilty of having committed an offence punishable with imprisonment (but not with imprisonment for life), the court by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that, having regard to the circumstances of the case including the nature of the offence and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record its reasons for doing so.

Probation of Offender Act, 1958

(1) जब इक्कीस वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति कारावास से (किन्तु आजीवन कारावास से नहीं) दण्डनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है तब वह न्यायालय जिसने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसे कारावास से तब तक दण्डित नहीं करेगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अन्तर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय नहीं होगा कि उससे धारा 3 या धारा 4 के अधीन व्यवहार किया जाए और यदि न्यायालय अपराधी को कारावास का कोई दण्ड देता है तो वह वैसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(2) For the purpose of satisfying itself whether it would not be desirable to deal under section 3 or section 4 with an offender referred to in sub-section (1), the court, shall call for a report from the probation officer and consider the report, if any, and any other information available to it relating to the character and physical and mental condition of the offender.

अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराधी से धारा होगा, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा 3 या धारा 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं और रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, और अपराधी के चरित्र और शारीरिक तथा मानसिक दशा से सम्बद्ध उसे प्राप्त किसी अन्य जानकारी पर विचार करेगा।

Probation of Offender Act, 1958



7. Report of probation officer to be confidential-The report of a probation officer referred to in sub-section (2) of section 4 or sub-section (2) of section 6 shall be treated as confidential:

परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना- धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 6 की उपधारा (2) में निदिष्ट परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी :

Probation of Offender Act, 1958



- **Provided that the court may, if it so thinks fit, communicate the substance thereof to the offender and may give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report.**

परन्तु न्यायालय यदि ठीक समझता है, तो उसक सार अपराधी को संसूचित कर सकेगा और उसे ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जैसा रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत हो ।

Probation of Offender Act, 1958

8. Variation of conditions of probation-

परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार-

(1) If, on the application of a probation officer, any court which passes an order under section 4 in respect of an offender is of opinion that in the interests of the offender and the public it is expedient or necessary to vary the conditions of any bond entered into by the offender, it may, at any time during the period when the bond is effective, vary the bond by extending or diminishing the duration thereof so, however, that it shall not exceed three years from the date of the original order or by altering the conditions thereof or by inserting additional conditions therin:

यदि किसी परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर किसी न्यायालय की, जिसने किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन पारित किया है. यह राय है कि अपराधी द्वारा दिए गए किसी बंधपत्र की शर्तों में फेरफार करना उस अपराधी और जनता के हितों में समीचीन या आवश्यक है तो वह उस कालावधि के दौरान, जब बंधपत्र प्रभावी है, किसी समय उसकी अस्तित्वावधि को बढ़ा या घटा कर किन्तु इस प्रकार कि वह मूल आदेश की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की न हो, अथवा उसकी शर्तों को परिवर्तित करके या उसमें अतिरिक्त शर्ते अन्तः स्थापित करके उस बंधपत्र में फेरफार कर सकेगा :

Probation of Offender Act, 1958



- **Provided that no such variation shall be made without giving the offender and the surety or sureties mentioned in the bond an opportunity of being heard.**

परन्तु ऐसा कोई फेरफार अपराधी को या बंधपत्र में वर्णित प्रतिभू या प्रतिभुओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) If any surety refuses to consent to any variation proposed to be made under sub-section (1), the court may require the offender to enter into a fresh bond and if the offender refuses or fails to do so, the court may sentence him for the offence of which he was found guilty.

यदि कोई प्रतिभू उपधारा (1) के अधीन किए जाने के लिए प्रस्थापित किसी फेरफार के लिए सहमत होने से इन्कार करता है तो न्यायालय अपराधी से नया बंधपत्र देने की अपेक्षा कर सकेगा और अपराधी यदि वैसा करने से इन्कार करेगा या उसमें असफल होगा तो न्यायालय उसे उस अपराध के लिए दण्डित कर सकेगा, जिसका वह दोषी पाया गया था ।

Probation of Offender Act, 1958

(3) Notwithstanding anything hereinbefore contained, the court which passes an order under section 4 in respect of an offender may, if it is satisfied on an application made by the probation officer that the conduct of the offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or bonds entered into by him.

इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी न्यायालय का जो किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर समाधान हो जाता है कि अपराधी का आचरण ऐसा रहा है कि उसे और आगे पर्यवेक्षणाधीन रखना अनावश्यक हो गया है तो वह उसके द्वारा दिए गए बंधपत्र को उन्मोचित कर सकेगा।

Probation of Offender Act, 1958

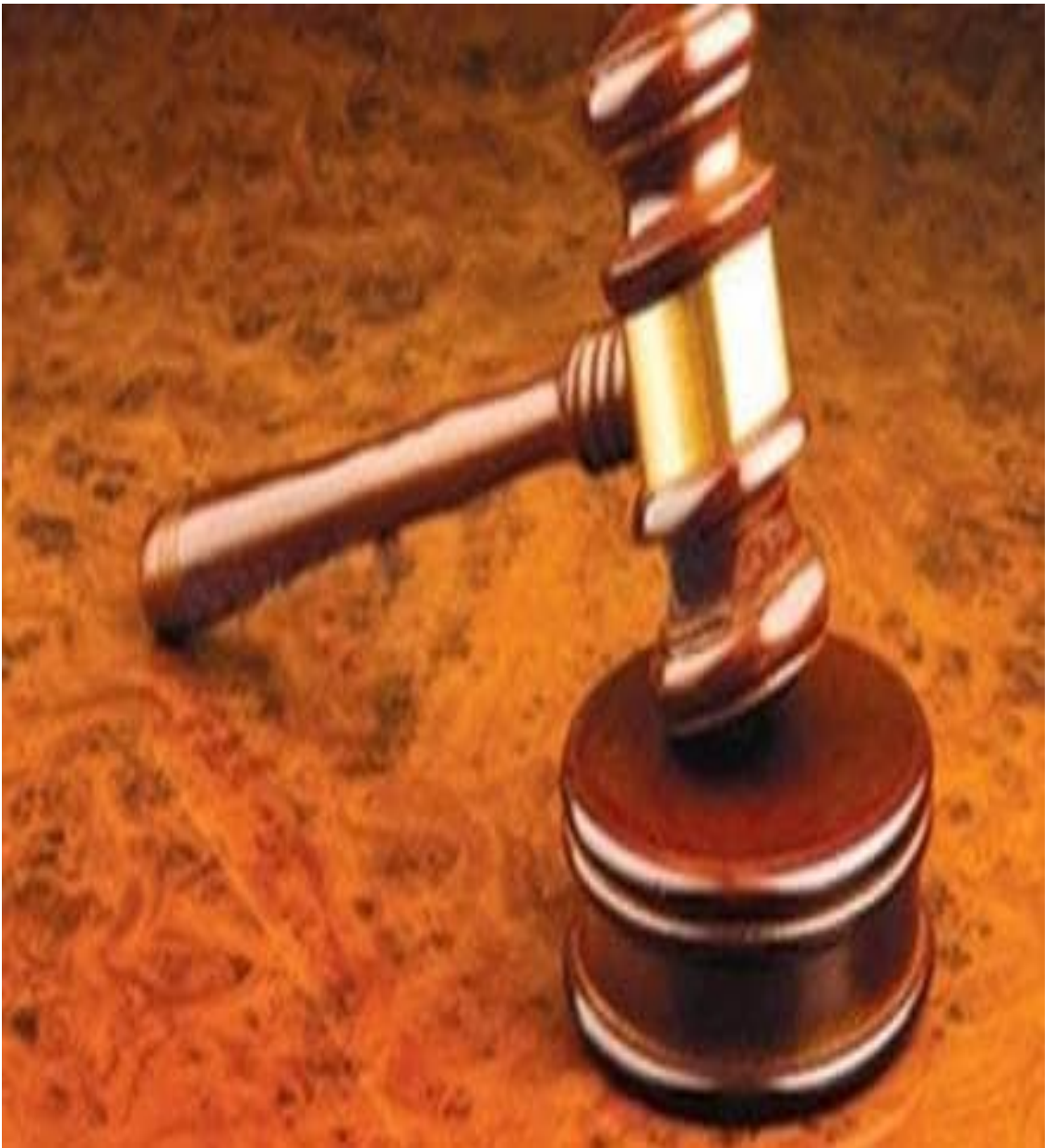

9. Procedure in case of offender failing to observe conditions of bond-

बन्धपत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया-

Probation of Offender Act, 1958

(1) If the court which passes an order under section 4 in respect of an offender or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offence has reason to believe on the report of a probation officer or otherwise, that the offender has failed to observe any of the conditions of the bond or bonds entered into by him, it may issue a warrnat for his arrest or may, if it thinks fit, issue a summon to him and his sureties, if any, requiring him or them to attend before it at such time as may be specified in the summons.

Probation of Offender Act, 1958



यदि उस न्यायालय के पास जो किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है या किसी न्यायालय के पास जो उस अपराधी की बाबत उसके मूल अपराध के संबंध में कार्यवाही कर सकता था, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अपराधी अपने द्वारा दिए गए बंधपत्र या बंधपत्रों की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल हुआ है तो वह उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा या यदि ठीक समझता है तो उसके या प्रतिभुओं के, यदि कोई हों, नाम समन निकाल सकेगा जिसमें उससे या उनसे यह अपेक्षा कि जाएगी कि उस समय पर जो समनों में विनिर्दिष्ट हो उसके समक्ष उपस्थित हों ।

(2) The court before which an offender is so brought or appears may either remand him to custody until the case is concluded or it may grant him bail, with or without surety, to appear on the date which it may fix for hearing.

न्यायालय, जिसके समक्ष अपराधी इस प्रकार लाया जाता है या उपस्थित होता है या तो उससे मामले की समाप्ति तक के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित कर सकेगा या उस तारीख को जो वह सुनवाई के लिए नियत करे उपस्थित होने के लिए उसे प्रतिभ के सहित या बिना जमानत मंजूर कर सकेगा

Probation of Offender Act, 1958

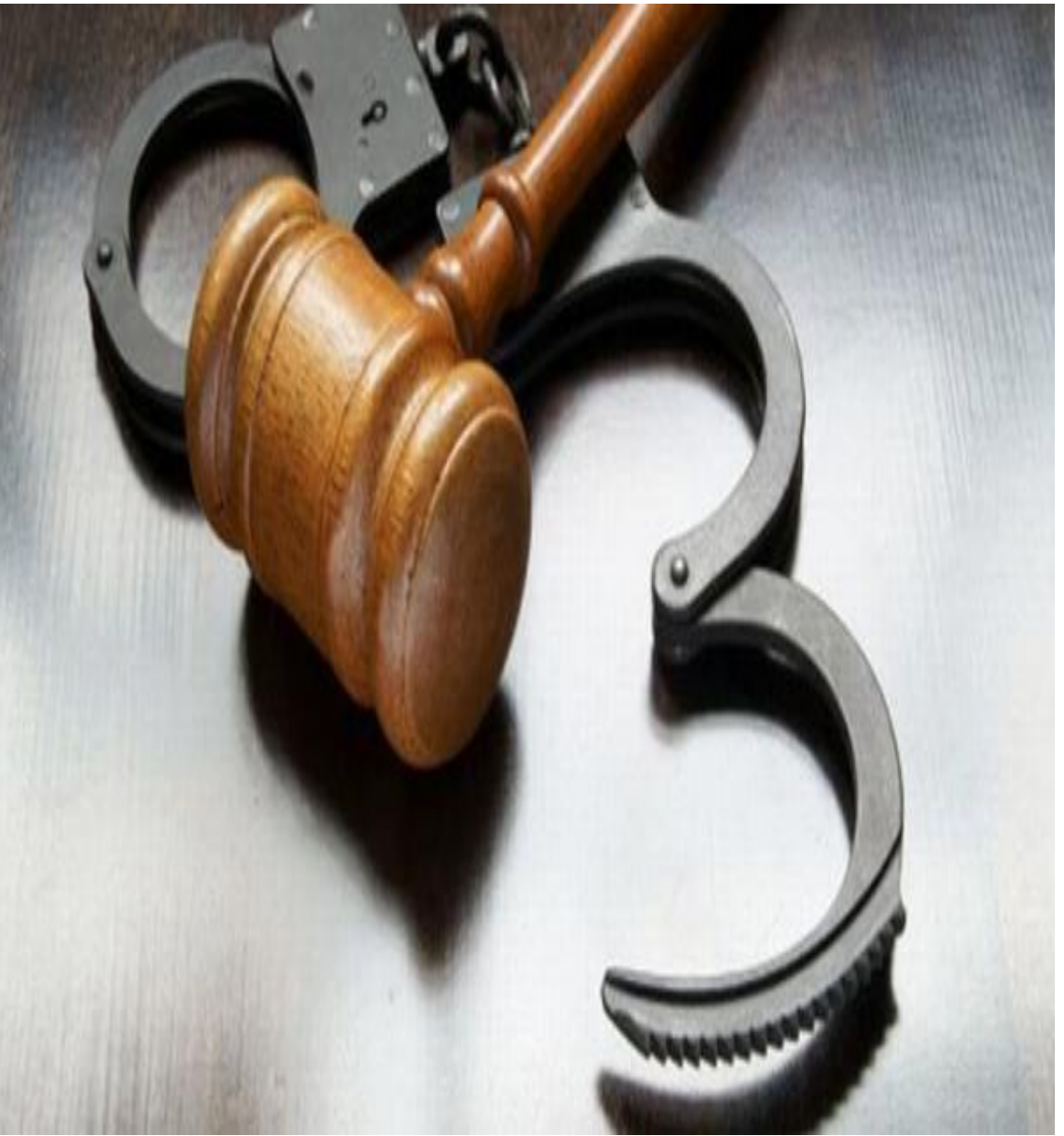

(3) If the court, after hearing the case, is satisfied that the offender has failed to observe any of the conditions of the bond or bonds entered into by him, it may forthwith-

यदि मामले की सुनवाई के पश्चात् न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने द्वारा दिए गए बंधपत्र की शर्तों में से किसी का अनुपालन में असफल हुआ है तो वह तत्काल-

(a) sentence him for the original offence; or (b) where the failure is for the first time, then, without prejudice to the continuance in force of the bond, impose upon him a penalty not exceeding fifty rupees.

उसे मूल अपराध के लिए दण्डित कर सकेगा; या (ख) जहाँ असफलता प्रथम बार होती हैं वहां बंधपत्र के प्रवृत्त रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस पर पचास रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

Probation of Offender Act, 1958



(4) **If a penalty imposed under clause (b) of sub-section (3) is not paid within such period as the court may fix, the court may sentence the offender for the original offence.**

यदि उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अधिरोपित शास्ति ऐसी कालावधि के भीतर जैसी न्यायालय नियत करे संदत्त नहीं की जाती है तो न्यायालय अपराधी को मूल अपराध के लिए दण्डित कर सकेगा ।

Probation of Offender Act, 1958

10. Provision as to sureties-The Provisions of sections 122, 126, 126A, 406A, 514, 514A, 514B and 515 of the Code shall, so far as may be, apply in the case of bonds and sureties given under this Act.

प्रतिभूओं के बारे में उपबंध-संहिता की धारा 122, 126, 126क, 406क, 514, 514क, 514ख और 515 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन दिए गए बंधपत्रों और प्रतिभूओं की दशा में यावत्शक्य लागू होंगे ।

Probation of Offender Act, 1958



11. Courts competent to make order under the Act, appeal and revision and powers of courts in appeal and revision-(1) Notwithstanding anything contained in the Code or any other law,

अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय, अपील और पुनरीक्षण और अपीलें और पुनरीक्षण न्यायालयों की शक्तियां- (1) संहिता में या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी

Probation of Offender Act, 1958



an order under this Act may be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment and also by the High Court or any other court when the case comes before it on appeal or in revision.

इस अधिनियम के अधीन आदेश, अपराधी का विचारण और उसे कारावास से दण्डित करने के लिए सशक्त किसी न्यायालय द्वारा, और उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा भी, जब कि मामला उसके समक्ष अपील में या पुनरीक्षण में आए, दिया जा सकेगा ।

(2) Notwithstanding anything contained in the Code, where an order under section 3 or section 4 is made by any court trying the offender (other than a High Court), an appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the former court.

संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 3 या धारा 4 के अधीन कोई आदेश अपराधी का विचारण करने वाले किसी न्यायालय द्वारा (जो उच्च न्यायालय से भिन्न हो) दिया जाता है वहां अपील उस न्यायालय को की जा सकेंगी जिसको पूर्ववर्ती न्यायालय के दण्डादेशों से अपीलें मामूली तौर पर की जाती हैं।

Probation of Offender Act, 1958

(3) In any case where any person under twenty-one years of age is found guilty of having committed an offence and the court by which he is found guilty declines to deal with him under section 3 or section 4, and passes against him any sentence of imprisonment with or without fine from which no appeal lies or is preferred, then, notwithstanding anything contained in the Code or any other law, the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the former court may, either of its own motion or on an application made to it by the convicted person or the probation officer, call for and examine the record of the case and pass such order thereon as it thinks fit.

किसी ऐसे मामले में जिसमें इक्कीस वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और वह न्यायालय जिसने उसे दोषी पाया है उसके संबंध में धारा 3 या धारा 4 के अधीन, कार्यवाही करने से इन्कार करता है और उसके विरुद्ध जुर्माने के सहित या बिना कारावास का दण्डादेश पारित करता है जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती या नहीं की जाती तो इस संहिता या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय, जिसको पूर्ववर्ती न्यायालय के दण्डादेशों से अपीलें मामूली तौर पर की जाती है, या तो स्वप्रेरणा से या सिद्धदोष व्यक्ति अथवा परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसको आवेदन किए जाने पर मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा पर सकेगा तथा उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझता है ।

Probation of Offender Act, 1958



(4) When an order has been made under section 3 or section 4 in respect of an offender. the Appellate Court or the High Court in the exercise of its power of revision may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law:

जब किसी अपराधी के संबंध में धारा 3 या धारा 4 के अधीन कोई आदेश दिया गया है तब अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आदेश को अपास्त कर सकेगा और उसके बदले में ऐसे अपराधी की बाबत विधि के अनुसार दण्डादेश पारित कर सकेगा :

Probation of Offender Act, 1958



- **Provided that the Appellate Court or the High Court in revision shall not inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was found guilty.**

परन्तु अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय पुनरीक्षण करते हुए उससे अधिक दण्ड नहीं देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी दोषी पाया गया था ।

TARGET-20

12. Removal of disqualification attaching to conviction-

दोषसिद्धि में संलग्न निरर्हता का हटाया जाना-

Notwithstanding anything contained in any other law, a person found guilty of an offence and dealt with under the provisions of section 3 or section 4 shall not suffer disqualification, if any, attaching to a conviction of an offence under such law:

भी किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति, जो अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसके संबंध में धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाती है. ऐसी विधि के अधीन अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न, यदि कोई हो, निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा :

Probation of Offender Act, 1958

- **Provided that nothing in this section shall apply to a person who, after his release under section 4 is subsequently sentenced for the original offence.**

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो धारा 4 के अधीन उसे छोड़ दिए जाने के बाद, तत्पश्चात् मूल अपराध के लिए दण्डित किया जाता है ।

Probation of Offender Act, 1958



13. Probation officers - (1) A probation officer under this Act shall be

परिवीक्षा अधिकारी-(1) इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा अधिकारी-

(a) a person appointed to be a probation officer by the State Government or recognised as such by the State Government; or

वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है या राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है; या

(b) a person provided for this purpose by a society recognised in this behalf by the State Government; or

वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलभ्य किया गया है; या

(c) in any exceptional case, any other person who, in the opinion of the court, is fit to act as a probation officer in the special circumstances of the case.

किसी असाधारण मामले में कोई अन्य व्यक्ति होगा जो न्यायालय की राय में उस मामले की विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के योग्य है ।

Probation of Offender Act, 1958



(2) A court which passes an order under section 4 or the district magistrate of the district in which the offender for the time being resides may, any time, at appoint any probation officer in the place of the person named in the supervision order.

कोई न्यायालय जो धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है या उस जिले का जिसमें अपराधी तत्समय निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय, पर्यवेक्षण आदेश में नामित किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।

Explanation-For the purposes of this section, a presidency town shall be deemed to be a district and chief presidency magistrate shall be deemed to be the district magistrate of that district.

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रेसीडेंसी नगर को जिला समझा जाएगा और मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट को उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा ।

Probation of Offender Act, 1958



(3) A probation officer, in the exercise of his duties under this Act, shall be subject to the control of the district magistrate of the district in which the offender for the time being resides.

परिवीक्षा अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के प्रयोग में उस जिले के जिसमें अपराधी तत्समय निवास करता है जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अध्यधीन होगा ।

Probation of Offender Act, 1958

14. Duties of Probation Officers-A probation officer shall, subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed

परिवीक्षा अधिकारियों का कर्त्तव्य-परिवीक्षा अधिकारी ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के जो विहित किए जाएँ अध्यधीन रहते हुए-

(a) inquire, in accordance with any directions of a court, into the circumstances or home surroundings of any person accused of an offence with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him and submit reports to the court;

किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति की परिस्थितियों या घर के माहौल की जांच, उसके संबंध में कार्यवाही करने की सबसे उपयुक्त पद्धति अवधारित करने में न्यायालय की सहायता करने की दृष्टि से, न्यायालय के निदेशों के अनुसार करेगा और न्यायालय को रिपोर्ट देगा।

(b) supervise probationers and other persons placed under his supervision and, where necessary, endeavour to find them suitable employment;

परिवीक्षाधीनों और अपने पर्यवेक्षण के अधीन रखे गए अन्य व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा और जहां आवश्यक हो उनके लिए उपयुक्त नियोजन ढूँढ़ने का प्रयास करेगा;

(c) advise and assist offenders in the payment of compensation or costs ordered by the court;

न्यायालय द्वारा आदिष्ट प्रतिकर या खर्चों के संदाय में अपराधियों को सलाह और सहायता देगा,

Probation of Offender Act, 1958



(d) advise and assist, in such cases and in such manner as may be prescribed, persons who have been released under section 4; and

उन व्यक्तियों को जो धारा 4 के अधीन छोड दिए गए है, ऐसे मामलों में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सलाह और सहायता देगा, और

(e) perform such other duties as may be prescribed.

ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा जो विहित किए जाएं ।

Probation of Offender Act, 1958

15. Probation Officers to be public servants-

परिवीक्षा अधिकारियों का लोकसेवक होना-

Every probation officer and every other officer appointed in pursuance of this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

इस अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी और प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोकसेवक अधिकारी नियुक्त किया गया है या राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है; या

Probation of Offender Act, 1958

16. Protection of action taken in good faith-

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण -

No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or any probation officer or any other officer appointed under this Act in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rules or orders made thereunder.

कोई भी बात या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, राज्य सरकार या किसी परिवीक्षा अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी, के विरुद्ध न होगी ।

Probation of Offender Act, 1958



17. Power to make rules (1) The State Government may, with the approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

नियम बनाने की शक्ति (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2). In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:

विशिष्टतया या पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सब या किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:

(a) appointment of probation officers, the terms and conditions of their service and the area within which they are to exercise jurisdiction;

परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा वह क्षेत्र जिसके भीतर उनको अधिकारिता का प्रयोग करना है;

Probation of Offender Act, 1958

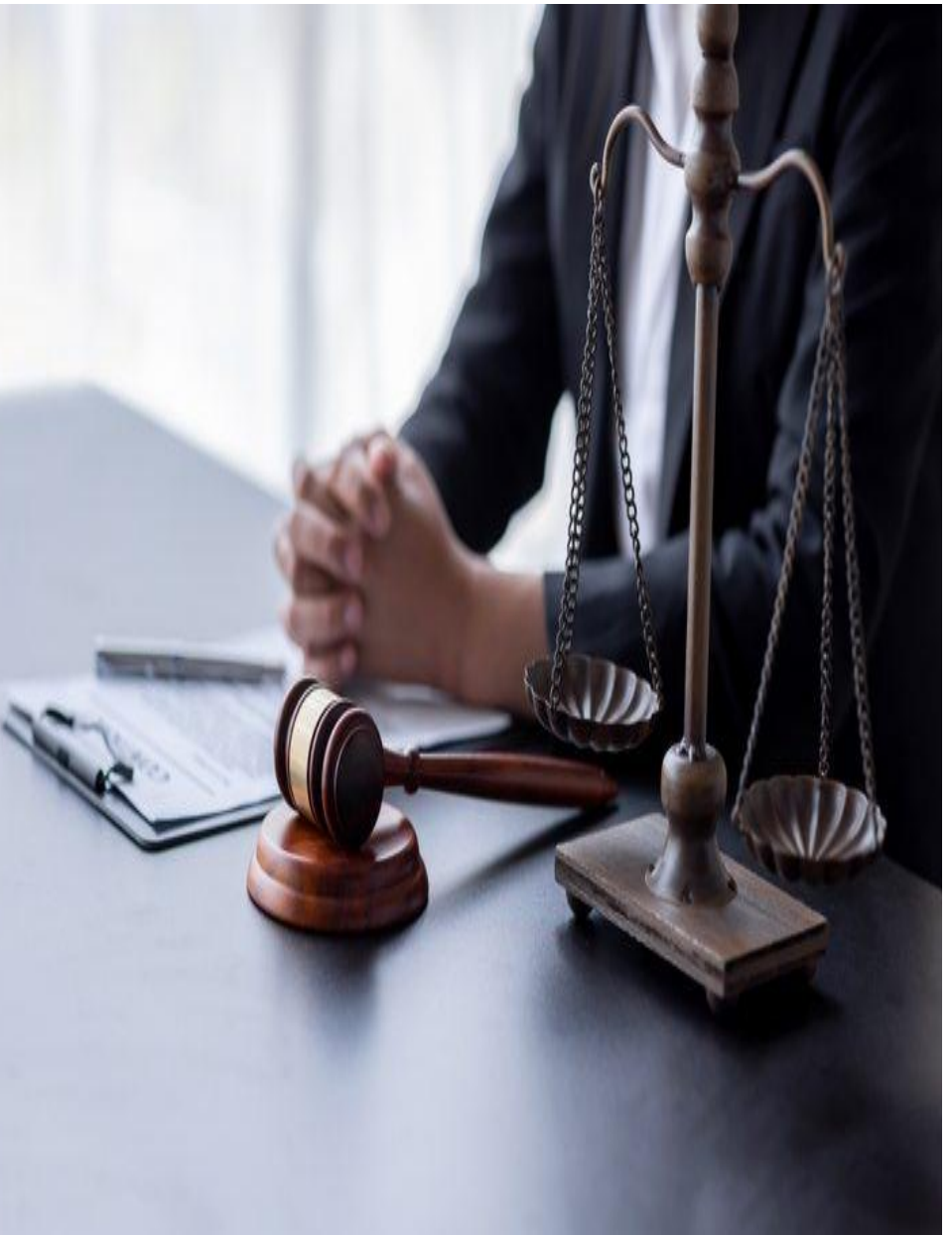

(b) duties of probation officers under this Act and the submission of reports by them;

इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा अधिकारियों के कर्त्तव्य और उनके द्वारा रिपोर्टों का दिया जाना;

(c) the conditions on which societies may be recognised for the purposes of clause (b) of sub-section (1) of section 13;

वे शर्तें जिन पर सोसाइटियों को धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जा सकेगी;

(d) the payment of remuneration and expenses to probation officers or of a subsidy to any society which provides probation officers; and

परिवीक्षा अधिकारियों को पारिश्रमिक और व्ययों का अथवा किसी सोसाइटी को जो परिवीक्षा अधिकारी उपलभ्य करती है साहाय्यिकी का संदाय, और

(e) any other matter which is to be, or may be, prescribed.

कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

Probation of Offender Act, 1958



(3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication and shall, as soon as may be after they are made, be laid before the State Legislature.

इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम पूर्व प्रकाशन को शर्त के अध्यधीन होंगे और बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखे जाएंगे ।

Probation of Offender Act, 1958

18. Saving of operation of certain enactments –

कतिपय अधिनियमितियों के प्रवर्त्तन की व्यावृत्ति-

Nothing in this Act shall affect the provisions of section 31 of the Reformatory Schools Act, 1897 (8 of 1897), or sub-section (2) of section 5 of the Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947), [xxxxx] or of any law in force in any State relating to juvenile offenders or borstal schools.

इस अधिनियम की कोई बात सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 (1897 का 8) की धारा 31 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) की धारा 5 की उपधारा (2) [xxxxx] अथवा किशोर अपराधियों या बोर्स्टल स्कूलों से संबद्ध किसी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी ।

Probation of Offender Act, 1958



19. Section 562 of the Code not to apply in certain areas - Subject to the provisions of section 562 of the Code shall cease to apply to the State or parts thereof in which this Act is brought into force.

संहिता की धारा 562 का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना-धारा 18 के उपबन्धों के अध्यधीन, संहिता की धारा 562, उन राज्यों या उनके भागों में जिनमें यह अधिनियम प्रवृत्त किया जाता है, लागू नहीं होगी।

Join my

Telegram Group

Target 20 Judiciary

- DAILY PDF OF ALL YT SESSION
- DISCUSSION / DOUBT SOLVING
- DIRECT INTERACTION WITH ME
- QUIZ
- POLLS

TARGET-20

Probation of Offender Act, 1958



TELEGRAM : Target_20_Judiciary

INSTAGRAM : Target_20_Judiciary

YouTube : Target_20_Judiciary

Support No: 8875567888